INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

चौरी – चौरा आंदोलन की व्यापक पृष्ठभूमिः– मेरठ मण्डल के विशेष संदर्भ में

डॉ० राजेश गर्ग,
प्रोफेसर, इतिहास विभाग, डी०ए०वी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुलंदशहर

डॉ० ब्रजेश कुमार,
एसो. प्रोफेसर,

चौरी–चौरा जनक्रांति =

भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में उत्तर प्रदेश का अपना विशेष योगदान रहा है इस प्रदेश में घटित होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला के रख दिया था ऐसी ही एक महत्वपूर्ण घटना आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व घटित हुई थी जिसे इतिहास में चौरी–चौरा जनक्रांति के नाम से जाना जाता है।

लगभग 100 वर्ष पहले 4 फरवरी 1922 को दिन शनिवार की शाम के समय एक थाने को आग लगा दी गई थी वह थाना चौरा नामक गांव में ही था। जिस तीसरे दर्जे के थाने को आग के हवाले किया गया था उसकी स्थापना 1857 ई. के स्वतंत्रता संग्राम के बाद की गई थी जिससे कि कोई क्रांतिकारी घटना पुनः ना हो। इस जनक्रांति ने भारत के इतिहास को विशेष रूप से प्रभावित किया तथा भारत में आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की।[1]

चौरी–चौरा जनक्रांति के 100 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने चौरी–चौरा शताब्दी समारोह मनाने का निर्णय लिया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयोजित समारोह का वर्चुअल उद्घाटन 4 फरवरी 2022 को किया और इस जनक्रांति के महत्व को भी स्पष्ट किया।[2]

प्रधानमंत्रीजी ने अपने संबोधन में इस घटना के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि चौरी–चौरा में जो हुआ वह सिर्फ एक थाने में आग लगने की घटना नहीं थी, इसका संदेश बहुत बड़ा और व्यापक था आग केवल थाने में नहीं बल्कि दिलो में लगी हुई थी। तथा चौरी–चौरा क्रांति को इतिहास में उसका उचित स्थान नहीं मिला है किंतु हमें इस क्रांति के शहीदों को सलाम करना चाहिए।

इस विशेष कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया तथा प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी रेखांकित किया की चौरी–चौरा के क्रांतिकारियों की जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। क्योंकि जिन्होंने इस देश पर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, वह भी इसी देश की ही संतान थे।[3]

चौरी–चौरा क्रांति के घटित होने के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियां ही थीं। जून 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें ब्रिटिश सरकार की विजय होने का कारण भारतीयों का सहयोग और बलिदान ही था आरंभ में तिलक सहित जिन राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहयोग करने का निश्चय किया था। उन राष्ट्रवादी नेताओं की धारणा यह थी कि ब्रिटिश सरकार इनकी कृतज्ञता से खुश हो कर स्वशासन में सहयोग करेगी।[4]

इस युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने अपने द्वारा किए गए वादों और आश्वासनों के विपरीत कार्य किये। अंग्रेजों ने भारतीयों के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए एक कमेटी बनाई। इस कमेटी के अध्यक्ष रौलेट थे और इस कमेटी ने इनकी अध्यक्षता में 2 विधेयक बनाए थे जिन्हें भारतीयों के विरोध के बावजूद भी पारित कर दिया गया था। जिसके कारण भारतीय अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे।[5]

भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोशित थे क्योंकि भारतीय मुसलमान तुर्की के धर्मगुरु को अपना खलीफा मानते थे किंतु अंग्रेजों के प्रभाव के कारण मुस्लिमों के धर्म स्थलों पर खलीफा का अब कोई प्रभुत्व नहीं रह गया था।[6] अतः भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शित किया था।

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पंजाब के अमृतसर जिले में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर ब्रिटिश सरकार की तानाशाही परिलक्षित होती है जब इस दिन ब्रिटिश सरकार अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए जलियांवाला बाग नरसंहार कांड को अंजाम देती है। सरकार की तानाशाही का चरमोत्कर्ष कि वह अपने दोषी अफसर को दंड देने के बजाय उसे पुरस्कृत करती है। ब्रिटिश सरकार के बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए महात्मा गांधी ने सरकार से असहयोग करने का निर्णय किया और गांधी जी ने अपने इस निर्णय को अमल में लाने के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कोलकाता में आहूत किया। कांग्रेस ने ना केवल असहयोग प्रस्ताव को मंजूरी दी बल्कि इसे अपना आंदोलन भी स्वीकार कर लिया।

महात्मा गांधी ने ही इसके प्रस्ताव की रूपरेखा को तैयार किया था गांधी जी ने अपनी आत्मकथा ''सत्य के साथ मेरे प्रयोग'' में यह स्वीकार किया है कि पंजाब में ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गये अत्याचार पूर्ण अन्याय तथा मुस्लिम समुदाय का खिलाफत आंदोलन ही उनके असहयोग के प्रस्ताव का आधार था और महात्मा गांधी जी ने इस असहयोग के प्रस्ताव में श्री विजयराघवाचार्य जी के कहने पर स्वराज की मांग को भी इसमें शामिल कर लिया।[7]

गांधीजी तो एक राजनीतिक संत थे जो राजनैतिक साध्यो हेतु उच्चतर व नैतिक साधनों के प्रयोग पर बल देते थे गांधी का व्यक्तित्व तो ऐसा था कि वह पशु बल को भी अपने आत्मिक बल से विजित कर लेते।[8]

गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों से हर परिस्थिति में अहिंसा का पालन करने का वचन लिया।

13 फरवरी 1921 को ''स्वदेश'' समाचार पत्र में एक कविता प्रकाशित हुई जो महात्मा गांधी की गोरखपुर आगमन पर प्रकाशित थी जो इस प्रकार थी–

''जान डालेगा यहां आपका आना अब तो,
लोग देखेंगे कि बदला है जमाना अब तो।
आप आये हैं यहां जान ही आयी है समझो,
गोया गोरख ने धुनी फिर है रमायी समझो''।

गांधीजी के आगमन ने लोगो में अंग्रेजों के विरुद्ध साहस पैदा किया। तथा गांधीजी की इस यात्रा ने गोरखपुर के लोगों में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया।[9]

कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को जारी करने के लिए वालंटियर दलों की भर्ती की और जिला समितियो का गठन किया किन्तु जब सरकार आंदोलनकारियों को दबाने में सफल नहीं हुई तो उसने कांग्रेस एवं खिलाफत समिति दोनों को ही गैरकानूनी घोषित कर दिया था और गांधी जी को छोड़कर शेष प्रसिद्ध नेता जैसी मोतीलाल नेहरु, चितरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद, डॉ किचलू आदि को दिसंबर 1921 तक गिरफ्तार कर लिया।

अब दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें इस आंदोलन को और गति दी गई एवं महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करने और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे संचालन करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया।[10]

गांधीजी ने 1 फरवरी 1922 को वायसराय लॉर्ड रीडिंग से इस दमनात्मक कार्यवाही को एक सप्ताह में समाप्त करने के लिए कहा तो वायसराय ने इस कार्यवाही के लिए जनता को ही दोषी ठहरा दिया और कहा कि प्रशासन परिस्थिति को काबू में करने के लिए जो साधन उचित समझेगा उसका प्रयोग करेगा।[11]

1 फरवरी 1922 को तीन सत्याग्रही भगवान अहीर, रामरुप बराई और महादेव को चौरी–चौरा के निकट मुंडेरा बाजार में रिपोर्टिंग करते हुए ब्रिटिश पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटा गया था।

इस घटना का विरोध प्रदर्शन करने के लिए वॉलिंटियर्स द्वारा 4 फरवरी 1922 को एकत्र होकर पुलिस स्टेशन जाकर दरोगा गुप्तेश्वर सिंह से इस पर स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय किया गया था और इसके लिए 10 किलोमीटर की परिधि के गांव में घर–घर जाकर के संपर्क किया गया था।

4 फरवरी 1922 को शनिवार का दिन था चौरी चौरा के बाजार में असहयोग आंदोलन के समर्थन में लोग जुलूस निकाल रहे थे। जैसे ही जुलूस थाने के सामने से गुजरा तो आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इससे लोगों का गुस्सा चरम पर आ गया।

जुलूस में लोग निहत्थे थे पुलिस ने ब्रिटिश क्रूरता का परिचय देते हुए पहले बुरा व्यवहार किया फिर लाठीचार्ज किया और इसके बाद गोली चला दी। इससे 11 आंदोलनकारियों की मौत हो गई और अनेक घायल हो गए, गोलियां खत्म होने पर आंदोलनकारियों ने पुलिस वालों को थाने की ओर भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस वालों ने स्वयं को लॉकअप में बंद कर लिया जिससे की आंदोलनकारी उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तब आंदोलनकारियों ने लॉकअप में बंद पुलिस वालों को कैरोसिन का तेल डालकर उनमें आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिस कर्मियों की जलकर मृत्यु हो गई और एक अन्य पुलिसकर्मी की मृत्यु अगले दिन हो गई।

इन 23 पुलिसकर्मियों के नाम इस प्रकार है–

1. गुप्तेश्वर सिंह–दरोगा
2. पृथ्वी पाल सिंह सब इंस्पेक्टर
3. बशीर खां हेड कांस्टेबल
4. कपिल देव सिंह
5. लखई सिंह
6. रघुवीर सिंह
7. विशेसर यादव
8. मुहम्मद अली
9. हसन खां
10. गदा बख्श खां
11. जमा खां
12. मंगरु चौबे
13. राजबली पांडे
14. कपिल देव
15. इंद्रासन सिंह
16. राम लखन सिंह
17. मर्दाना खां
18. जगदेव सिंह
19. जगई सिंह
20. वजीर
21. प्रिंसई
22. जथई
23. कतवारु

इनमें वजीर, धिंसई, जथई, कतवारु, ये चार चौकीदार थे।[12]

इस घटना की जानकारी गांधी जी को गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी के उपसभापति पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने चिट्ठी लिखकर दी थी। जिसके आधार पर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी।[13]

गांधी जी के द्वारा इस प्रकार आंदोलन को स्थगित करना जनता और नेताओं में दोनों में नागवार गुजरा। इस प्रकार आंदोलन वापस लेने से गांधी जी की लोकप्रियता और नेतृत्व दोनों पर इन्हें संदेह होने लगा था। देश की परिस्थितियां असहयोग आंदोलन के लिए अनुकूल थी तथा जनता का जोश भी चरम सीमा पर था। 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने स्वयं अपने लेख ''चौरी–चौरा का अपराध में'' उल्लेख किया है कि यदि वह आन्दोलन को वापस नहीं लेते तो अनेक स्थानों पर भी ऐसी घटनाएं हो सकती थी जो भारत के दुर्भाग्य के अलावा और कुछ सिद्ध नहीं होती। किंतु यह भी स्मरण रहे कि गांधी द्वारा यह आंदोलन वापस लेना उनके ''संघर्ष विराम'' की रणनीति का एक हिस्सा ही था। जिससे कि सरकार का दमन चक्र क्रांतिकारियों पर ना बरसे ।

सुभाष चंद्र बोस ने विरोध प्रकट करते हुए कहा था जब जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था तब वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं।[14]

महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर कहते हैं कि ''असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था।'' पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ऐसे समय जबकि लगता था कि हम अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं और सब मोर्चे पर आगे बढ़ रहे हैं अपने संघर्ष को बंद कर दिये जाने का समाचार हमें मिला तो हम बहुत नाराज हुए।[15]

लखनऊ में खिलाफत कमेटी और जमीयत उलेमा के संयुक्त अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास हुआ कि ''हिंदुस्तान और मुसलमानों का सबसे बड़ा हित इसमें है कि कांग्रेस के मल में स्वराज शब्द के स्थान पर पूर्ण स्वाधीनता शब्द का प्रयोग किया जाए।''[16]

हिंदू–मुस्लिमों की आपसी वैमनस्य का लाभ ब्रिटिश अधिकारियों ने उठाया था हिंदू– मुस्लिम एकता टूट गई और जिसके कारण सांप्रदायिक दंगे आरंभ हो गये।[17]

आंदोलन को व्यापक स्तर पर संचालित करने के लिए महात्मा गांधी ने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और लोगों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। यहां महिला, पुरुषों तथा विद्यार्थियों ने भी असहयोग आंदोलन में पूरे जोश से बढ़–चढ़कर भाग लिया था। गांधी जी का मेरठ आगमन सर्वप्रथम 22 जनवरी 1920 को हुआ था और यहां के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और आंदोलन में भाग लेने का आश्वासन दिया।[18]

आंदोलन में मेरठ मण्डल के शिक्षार्थियों, कृषकों और महिलाओं ने तन मन से साथ दिया। गांधी जी ने यहां आंदोलन के रचनात्मक व निषेधात्मक दोनों पक्षों से संबंधित अपने विचार लोगों के सम्मुख रखे। रचनात्मक पक्ष के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम एकता, अहिंसा, सत्याग्रह

एवं स्वदेशी प्रचार शामिल थे तथा नकारात्मक पक्ष के अंतर्गत स्कूल एवं कॉलेजों तथा परिषद व न्यायालयों का बहिष्कार शामिल था।[19]

21 से 23 मार्च तक प्रांतीय खिलाफत सम्मेलन हुए जिसमें महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, अली बंधु, हसरत मोहानी पधारे तथा अनेक जिलों के विद्यार्थियों के समूह भी बड़ी संख्या में आने लगे।[20]

गांधी जी ने आंदोलन का प्रमुख आधार असहयोग एवं बहिष्कार को बनाया।

2–3 मई को मेरठ में ''जिला राजनीतिक सम्मेलन'' हुआ, इसकी अध्यक्षता पंडित सीताराम ने की थी । इस सम्मेलन में मेरठ मंडल की जनता द्वारा आन्दोलन को अनुमति प्रदान की गई।[21]

मेरठ में लोगों ने सरकारी नौकरियां एवं उपाधियों का त्याग किया। जैसे मेरठ में रघुवीर चौधरी नारायण सिंह, जो जिले के सबसे बड़े जमीदार थे उन्होंने सरकार द्वारा दी गई ''राय साहब'' की उपाधि त्याग दी। तथा यहां की नारियों ने भी आंदोलन में बढ़–चढ़कर भाग लिया और जेल यात्राऐं भी की। मेरठ मंडल में महिलाओं में जेल जाने की शुरुआत ''विधावती जी'' ने की थी।[22]

मेरठ मण्डल में आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एवं होली जलाने का कार्य प्रसिद्धि पा चुका था। इन घटनाओं के आधार पर ही चौरी–चौरा की पृष्ठभूमि धीरे–धीरे तैयार हो रही थी। चौरी–चौरा की घटना के परिदृश्य में यह बात स्पष्ट है कि यह घटना स्वतः स्फूर्त थी जो कि अंग्रेजी सरकार की दमनात्मक क्रूरता का प्रतीक थी।[23]

प्रश्न यह है कि अंग्रेजों की क्रूरता एवं दमनात्मक कार्यवाहियां केवल चौरी–चौरा तक ही सीमित थी अथवा प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही परिस्थितियां थीं। इस संदर्भ में जब हम मेरठ मण्डल व जिला बुलंदशहर से संबंधित दस्तावेजों की जांच पड़ताल करते हैं तो हम पाते हैं की उस समय चौरी–चौरा के समान ऐसे ही घटनाएं बुलंदशहर जिले में भी दृ ष्टिगोचर हो रही थी। यहां जनरल डायर के कुकृत्य से पुलिस प्रशासन व न्याय व्यवस्था में कुटिलता और भी बढ़ गई थी क्योंकि जरनल डायर को जलियांवाला बाग नरसंहार कांड के लिए दंडित नहीं किया गया बल्कि ब्रिटिश अधिकारीगण द्वारा उसे पुरस्कृत किया गया था। इसके पश्चात बल प्रयोग ही पुलिस प्रशासन की नीति बन गई थी। अंग्रेजों की इस न्यायिक व्यवस्था से लोगों में रोष था जोकि चौरी–चौरा जनक्रांति के अवसर पर उनमें सरकार के खिलाफ आक्रोश की ज्वाला बनकर भड़क उठा।

जिला बुलंदशहर में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की गतिविधियां भी दिखाई देती है। यहां लोगों ने असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर सरकारी नौकरियां छोड़ दी तथा वकीलों और शिक्षकों ने अपनी नौकरी को त्याग दिया था। यहां लगभग प्रत्येक व्यक्ति आंदोलन में अपनी भागीदारी अर्पित करना चाहता था। यहां जिले के विद्यार्थियों ने सरकारी कॉलेज और स्कूलों का त्याग करके इस आंदोलन को गति प्रदान की। यहां के सरकारी अध्यापक

पंडित इंद्रमणि ने नौकरी को त्यागपत्र देकर आंदोलन के इस पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति दी। जनपद बुलंदशहर के विश्व प्रसिद्ध पॉटरी नगर खुर्जा के श्री रामसिंह (अच्छेघाट निवासी) ने पुलिस की सरकारी नौकरी का बहिष्कार कर आंदोलन में अपनी भागीदारी दी। बुलंदशहर के लोगों ने आंदोलन से प्रेरित होकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके अपने घरों में चर्खे से निर्मित वस्त्र अपनाएं। उस समय घर घर में चर्खे चलाये जा रहे थे। और लोगों के द्वारा चर्खे से प्रेरित एक धुन गाई जा रही थी। =

''कातो चरखा मिले स्वराज,
कहते हैं गांधी महाराज''।

15 जनवरी 1922 को 'नवजीवन' में बुलंदशहर में असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पुलिस की बर्बरता का उल्लेख करते हुए गांधी जी ने लिखा है ''यदि यह सत्य है की पुलिस ने जिला बुलंदशहर में शांति रक्षा के नाम पर जनता के घरो में घुसकर हमला किया है तथा कुर्की के नाम पर उनका सब कुछ छीन लिया है तो हमारे लिए शांतिमय कानून को भंग करने का समय आ चुका है।''

ब्रिटिश सरकार की क्रुरता लगभग सभी स्थानों पर प्रदर्शित हो रही थी। असहयोग आंदोलन के समय जिला बुलंदशहर में भी यह क्रुरता देखने को मिलती हैं। जब देहरादून के निवासी महावीर त्यागी जिला बुलंदशहर में असहयोग आंदोलन को गति देने तथा यहां के निवासियों का उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से जनपद में पधारें तो अंग्रेजी सरकार को यह बात हजम नहीं हुई तथा उन्हें गिरफ्तार करके अंग्रेजी न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया, न्यायाधीश ने क्रोध में आकर महावीर त्यागी को कोर्ट में सबके सामने नीचा दिखाने के लिए थप्पड़ लगवाए। त्यागी जी के इस अपमान से सारे जिले में आक्रोश की ज्वाला फेल गई।

गांधी जी ने 14 अक्टूबर 1921 को ''नवजीवन'' में लिखा है की ''यद्यपि मुलजिम को बुलंदशहर की जनता ने उसके आत्म संयम, वीरता एवं विरक्ति पर बधाई दी थी पर मैं तो कहता हूं कि अभीयुक्त ऐसे नामधारी ने अदालत में मुकदमा ही क्यों चलाने दिया। यदि बुलंदशहर के समान कहीं ऐसा अवसर उपस्थित हो तो मनुष्य का बल ही उसकी रक्षा कर सकता है।''

यह विवरण सूचना विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित ग्रंथ ''उत्तर प्रदेश में गांधी जी'' में भी उल्लिखित है। बुलंदशहर की घटना के संबंध में गांधी जी की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत कठोरता की ओर इंगित करती है। चौरी–चौरा में भगवान अहीर के साथ हुई घटना के पश्चात जनता का अहिंसात्मक आंदोलन ब्रिटिश पुलिस की बर्बरता के उपरोक्त हिंसक आंदोलन में बदल गया इसका संबंध बुलंदशहर मैं घटित घटना पर गांधीजी की प्रतिक्रिया से प्रेरित होना प्रतीत होता है।

बुलंदशहर जैसी घटनाओं को देखते हुए दिसंबर 1921 में सरकार द्वारा ''स्वयं सेवा दलों'' को अवैध घोषित कर दिया गया था लेकिन कांग्रेस ने असहयोग के अंतर्गत इस आज्ञा का भी उल्लंघन किया। जैसे ही बुलंदशहर में 16 दिसंबर 1921 को वॉलिंटियर्स का पहला

जत्था लाला रूप बसंत जी के नेतृत्व में पिकेटिंग करने के लिए निकला तो उन्हें बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना ठीक वैसे ही घटित हुई जिस प्रकार चौरीचौरा के मुंडेरा बाजार में भगवान अहीर अपने दो दोस्तों के साथ निकले थे। इसी प्रकार बुलंदशहर में अनेक जत्थे निकलते रहे और गिरफ्तारियां चलती रही। और अब ब्रिटिश पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करना लगभग आम बात हो चुकी थी। बुगरासी (बुलंदशहर) में मौलाना अब्दुल मजीद खां के नेतृत्व में पठानों के एक जत्थे ने आंदोलन में भाग लिया जिस पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी निर्ममता से प्रहार किया। बुगरासी के पठानों द्वारा अहिंसा की नीति का उल्लेख करते हुए गांधीजी ने 'नवजीवन' में लिखा है कि ''मुझे अहिंसा का पाठ बुगरासी के पठानों से सीखना होगा।''

चौरी–चौरा जनाक्रोश व असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर गांधीजी जिला बुलंदशहर के लोगों द्वारा आंदोलन में की गयी साहस पूर्ण भागीदारी को देखते हुए, 1922 ई. में स्वयं बुलंदशहर पधारे और जनपद के लोगों की साहसपूर्ण भागीदारी की सहारना की। यहां गांधी जी ने खादी का प्रचार भी किया। गांधी जी ने श्रम की महत्ता, आत्मनिर्भरता, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर बल दिया था आपसी मेल व भाईचारे की भावना का संचार गांधीजी ने ग्रामीणों में किया था।[24]

कांग्रेस कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट के अनुसार चौरी चौरा घटना में सत्याग्राहियो ने पुलिस वालों की महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जाने दिया था। गोली चलाने का आदेश देने वाले दरोगा गुप्तेश्वर सिंह की पत्नी को भी सुरक्षित जाने दिया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि आंदोलनकारी कितने भी उग्र हो गए हो किंतु उन्होंने अमानवीयता का परिचय नहीं दिया। सबसे पहले यह खबर 'लीडर' अखबार में छपी थी ''लीडर'' अखबार में इस घटना का उल्लेख 4 फरवरी 1922 ईस्वी में किया गया था।[25]

इस घटना के लिए गांधीजी को दोषी मानते हुए उन पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मार्च 1922 ईस्वी में 6 वर्ष की सजा सुनाई गई किंतु अपनी बीमारी के कारण शीघ्र ही जेल से रिहा हो गए तथा जेल से छूटने के बाद गांधीजी ने दंगा के खिलाफ 21 दिन का उपवास किया। क्योंकि गांधीजी ने उस क्रोधोन्माद और हत्याप्रवृत्ति के लिए स्वयं को उत्तरदायी ठहराया तथा उपवास के माध्यम से वह पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे। उपवास के ठीक 21 दिन बाद 8 अक्टूबर 1924 ईस्वी को गांधीजी ने सभी संप्रदाय के नेताओं की उपस्थिति में अपना ऐतिहासिक उपवास समाप्त किया। चौरी–चौरा जनक्रांति के लिए पुलिस प्रशासन ने क्रांतिकारियों को उत्तरदायी ठहराया और इस घटना के लिए उन पर केस चलाया। जिसकी सुनवायी मिस्टर एचई होल्मस ने 9 जनवरी 1930 ई. को 418 पेज के निर्णय में 172 अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई इससे पूरा क्रांतिकारी समाज व सामान्य जनमानस सहम उठा।

गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने क्रांतिकारियों को बचाने के पक्ष में और सरकार के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की।

क्रांतिकारियों की पैरवी इलाहाबाद हाईकोर्ट में मदनमोहन मालवीय जी ने की जिसके कारण 114 में से 95 लोगों की फांसी की सजा माफ हुई थी।[26]

''पूर्वाचल के गांधी'' के नाम से प्रसिद्ध देवरिया के निवासी संत बाबा राघवदास की भूमिका भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने महामना को 10 वर्ष बाद एक बार फिर से अदालत में आने के लिए राजी कर लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सर यिमउड़ पीयर्स तथा न्यायमूर्ति पीगट ने जिन 19 क्रांतिकारियों को 2 जुलाई 1930 को फांसी की सजा दी थी। उनके नाम है। =

1. विक्रम
2. दुदही
3. भगवान
4. अब्दुल्ला
5. कालीचरण
6. लाल मोहम्मद
7. लौटी
8. मादेव
9. मेधू अली
10. नजर अली
11. रघुवीर
12. राम लगन
13. राम रूप
14. रुदाली
15. सहदेव
16. संपत
17. मोहन
18. श्याम सुंदर
19. सीताराम।[27]

इन लोगों की फांसी की खबर सुनकर जनसाधारण का हृदय पीड़ा से तड़प उठा व आंखें दर्द से झलक उठी।

चौरी–चौरा जनआक्रोश पर प्रमुख लेखन कार्य प्रकाशित हुआ।

(1) शाहिद अमीन ने अपनी पुस्तक ''इवेंट, मेटाफर, मेमोरीः चौरी–चौरा, 1922–1992''। में इस क्रांति के पीछे स्थानीय जमीदारों और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रोध व आक्रोश को रेखांकित किया है तथा घटना के पात्रों को ''गांधीवादी राष्ट्रवाद के गुमनाम से पात्र घोषित करते हैं।''

(2) ''चौरी–चौरा क्रांति एवं स्वतंत्रता संघर्ष'' (2021) के लेखक सुभाष चंद्र कुशवाहा इसे किसी विशेष जाति अथवा जातियाँ का आंदोलन नही मानते बल्कि इसे सभी का आंदोलन मानते हैं।

(3) 'चौरी–चौरा एक पुनरावलोकन राष्ट्रीय आयाम की स्थानीय घटना' प्रो. हिमांशु चतुर्वेदी द्वारा संपादित पुस्तक के अनुसार चौरी–चौरा घटना का NARATIVE भ्रमित रूप से जाति आधारित स्थापित करने का प्रयास किया गया है। जबकि वास्तव में यह आंदोलन उन लोगों का है जो इस राष्ट्र के लिए खड़े हुए और अपना सर्वस्व न्योछावर किया था। इस समय देश में जो अव्यवस्थाएं फैली थी उनसे निपटने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अछूतों का उद्धार, चरखा काटना, हस्तनिर्मित व स्वदेशी वस्त्र पहनना आदि कार्यों का विस्तार किया। लोगों को राष्ट्रीय विचारधारा से जोड़ दिया। जोकि आगे चलकर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आधार बना।[28]

सन्दर्भ सूची

(1) WWW-BBCNEWS-COM
(2) WWW-NEWSNATION-COM
(3) WWW-NAVBHARATTIMES-INDIATIMES-COM
(4) चंद्र, विपिन, ''आधुनिक भारत'' राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली–110016, पुर्नमुद्रण 2005 NCERT 1990, पृ० सं०– 220
(5) अहीर, राजीव, ''स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास'' स्पेक्ट्रम बुक्स प्रा.लि. 2017, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 341
(6) चंद्र, विपिन, मुखर्जी मृदुला महाजन, सुचेता, श्भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, 2014, पृष्ठ संख्या 161
(7) गांधी, महात्माः सत्य के साथ मेरे प्रयोग, प्रभात प्रकाशन, 2020.
(8) ग्रोवर, बी. एल. मेहता, अलका, ''आधुनिक भारत का इतिहास'', एस चंद. एंड कंपनी प्रा०ली० रामनगर, नई दिल्ली– 110055, 2008, पृष्ठ संख्या 318
(9) अमर उजाला नेटवर्क गोरखपुर, प्रकाशनः गोरखपुर ब्यूरो, 8 फरवरी 2021
(10) डॉक्टर. कश्यप, सुभाष, श्स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास – (1857–1947), दिल्ली विश्ववि द्यालय, पृष्ठ संख्या 41
(11) डॉक्टर सीता रमय्या, बी. पट्टाभि, शदि हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस (1885–1935), (एस. आई., कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, पृष्ठ संख्या– 397

(12) WWW-IASIPSHINDI-COM
(13) बोस सुभाष चंद्र, ''दि इंडियन स्ट्रगल'' 1920–34, लंदन, 1935श पृष्ठ संख्या– 90
(14) नेहरु, पंडित जवाहरलाल, ''मेरी कहानी'', सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली, 1933, पृ० सं०– 71
(15) दत्त, रजनीपाम, ''इंडिया टुडे'' पृ० सं०– 467
(16) सिंह, अयोध्या, भारत का मुक्ति संग्राम दयानंद मार्ग दरियागंज, नई दिल्ली– 110002, पृष्ठ संख्या–450
(17) कुमार विध्नेस, मेरठ के पांच हजार वर्षश हस्तिनापुर शोध संस्थान, मेरठ, 1966, पृष्ठ संख्या–191
(18) सुमन, रामनाथ, उत्तर प्रदेश में गांधीजी सूचना एवं प्रसारण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ पृ०स०– 115
(19) द इंडिपेंडेंट, 1 अप्रैल 1920
(20) पंडित गोपीनाथ सिन्हा की प्रकाशित डायरी द्वारा (श्री एच०एन० सिन्हा एडवोकेट एंड प्रोफेसर मेरठ कॉलेज के पास है)
(21) त्यागी, रिछपाल सिंहः हापुड़ का स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास, हापुड़, 1976, पृष्ठ संख्या–22
(22) यूपी पुलिस सीक्रेट ऐब्सट्रेक्ट, 8 जुलाई 1922 पृष्ठ संख्या 819
(23) श्री मिट्ठून लाल द्विवेदी स्वतंत्रता सेनानी कस्बा स्याना जनपद बुलंदशहर का व्यक्तिगत साक्षात्कार दिनांक 5 मार्च 1998
(24) लीडर, 4 फरवरी 1922
(25) WWW-INDIATIMES-COM
(26) WWW-THELALLANTOP-COM
(27) WWW-M-JAGRAN-COM
(28) दृष्टि एक विजन, पत्रिका, चौरी चौरा कांड के सौ साल 6 फरवरी 2021

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

MBA

Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM